

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

संदेश

हिन्दी दिवस

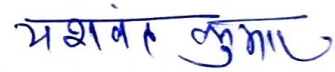
14 सितंबर 2021

हिन्दी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं !

भाषा मनोभाव व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब उसके निवासी अपनी राजभाषा में चिंतन एवं लेखन करें। यद्यपि विभिन्न भाषाएं और संस्कृतियां भारत की पहचान हैं और सभी भाषाओं का समृद्ध इतिहास है और समृद्ध साहित्य है और बहुत संख्या में बोलने वाले भी मौजूद हैं, परंतु पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम हिन्दी ने बखूबी किया है और राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

अतः संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा को देश की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। अतः सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी में कार्य करना हमारा संवैधानिक दायित्व है।

आइए, हिन्दी दिवस के इस अवसर पर हम राजभाषा और जन भाषा के रूप में हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए जिला न्यायालय में यथासंभव योगदान करें तथा कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए सामाजिक दूरी के नियम अनुपालन करते हुए सरकारी कामकाज करते हुए देश का गौरव बढ़ाएँ।



(यशवंत कुमार)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाहदरा जिला,

कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

संदेश की प्रति सूचनार्थ प्रेषित की जाती है:-

संख्या 7188-7196 /हिन्दी/शाह./दिल्ली/2021 दिनांक 14-09-2021

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2. जिला न्यायालय, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा दिल्ली के समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण।
3. लैंक नोडल अधिकारी, हिंदी अनुभाग, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), केंद्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
5. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), देखरेख शाखा, शाहदरा जिला को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी को निर्देश दें की इस संदेश की प्रति को न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।
6. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), राजभाषा हिन्दी अनुभाग, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
7. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), कंप्यूटर शाखा, तीस हजारी/ कड़कड़डूमा न्यायालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी सचिव, अधोहस्ताक्षरी।
9. प्राप्ति एवं निर्गमन शाखा, शाहदरा जिला को लेयर्स (LAYERS) पर अपलोड करने हेतु।



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाहदरा जिला,

कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली